दिनांक 27.10.2014 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उप विकास आयुक्तों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही

सर्वप्रथम सचिव द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों को अल्प समय में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थिति पर प्रसन्नता जाहिर की गयी तथा क्रमवार से उपस्थिति को सुनिश्चित करने के क्रम में लखीसराय, पटना, शेखपुरा एवं शिवहर जिला के उप विकास आयुक्त उपस्थित नहीं पाये गये ।

(क) <u>मनरेगा</u> :-

(1) **<u>SGRY (Food Grain)</u> :-** सभी उप विकास आयुक्तों का ध्यान SGRY के अंतर्गत खाद्यान्न से संबंधित मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश की ओर आकृष्ट किया गया तथा निदेशित किया गया कि इस मामले में जन-वितरण प्रणाली के विक्रेतावार विवरण दिनांक 15.11.2014 तक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय जिसमें संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त का पूर्ण विवरण रहेगा । इसी प्रसंग में उप विकास आयुक्त पश्चिम चम्पारण द्वारा जिज्ञासा की गयी कि यदि कोई मुखिया राशि जमा करना चाहते हैं तो उसे किस दर से जमा कराया जाय । इस संबंध में सचिव द्वारा कहा गया कि मामला माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीन है, अतएव जो विक्रेता स्वेच्छा से जितनी राशि जमा करना चाहते हैं उसे जमा करा लें । माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक में बाद में जमा की गयी राशि का समायोजन किया जा सकेगा ।

(2) **<u>EFMS</u> :-** सचिव द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों का ध्यान मनरेगा योजना के EFMS संबंधी कार्यों में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इसमें गति लाकर हर-हाल में इस कार्य को पूर्ण करते हुए विस्तृत विवरण के साथ एक प्रति विशेष दूत द्वारा विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया । इस संबंध में यह भी निदेशित किया गया कि यदि इस कार्य में कोई कठिनाई हो रही हो तो उसके समाधान हेतु विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रीमती सीमा कुमारी, UNDP के Consultant श्री सुमित अग्रवाल एवं श्री सन्याल का सहयोग लिया जा सकता है । यदि किसी Accounts में कोई गलत Entry की गयी है तो इसे प्रोग्राम पदाधिकारी अपने स्तर से ही ठीक करेंगे ।

कतिपय उप विकास आयुक्तों द्वारा EFMS का फार्म भरने एवं इससे संबंधित कार्यों के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों का एक प्रशिक्षण करने का सुझाव दिया गया । प्राप्त सुझाव के मद्देनजर सचिव द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 18.11.2014 को पटना स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

(3) **<u>Utilisation Certificate</u>** :- मनरेगा से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में दिनांक 07.11.14 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया । इसमें आवश्यकतानुसार पूर्वी चम्पारण जिला के उप विकास आयुक्त से सहयोग प्राप्त करने

का भी निदेश दिया गया । जिस प्रारूप में जिला के द्वारा Utilisation Certificate समय-समय पर भेजा जाता है उसी प्रारूप में Auditors भी Utilisation Certificate भेजें जिसमें Wage Material Ratio की भी चर्चा होना आवश्यक है । साथ ही Auditors के द्वारा Management Audit Checklist भी भेजना आवश्यक है जिसमें DRDA द्वारा Auditors को सहयोग किया जाना आवश्यक है ।

(ख) <u>इंदिरा आवास योजना</u>

(1) **<u>MIS</u>** :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन एवं MIS पर प्रदर्शित ऑकड़ों में भिन्नता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सचिव द्वारा इसपर खेद व्यक्त किया गया कि सभी जिलों में यथापेक्षित कार्मिक बल उपलब्ध होने के बाद भी MIS के ऑकड़ों को अद्यतन नहीं किया जाना उचित नहीं है, अतएव हर हाल में व्यय किये गये ऑकड़ों को दिनांक 03.11.2014 तक MIS पर अपलोड कर दिया जायेगा ।

(2) **<u>प्रथम किश्त का हस्तांतरण</u>** :- प्रथम किश्त की सहायता राशि लाभुकों को भुगतान करने के संबंध में पूर्व के विभागीय निदेश के अनुसार 60,000 रूपये एवं अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार 35,000 रूपये भुगतान करने की परिस्थिति को सचिव द्वारा विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया तथा निदेशित किया गया कि विभाग के अद्यतन निदेश के आलोक में ही सहायता राशि का भुगतान दिनांक 15.11.2014 को RTGS/NEFT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा तथा तदनुसार लाभुकों से Stop Payment का आवेदन प्राप्त कर राशि की निकासी सुनिश्चित की जायेगी । इस संबंध में सचिव ने उप विकास आयुक्तों से यह जानना चाहा कि किसी भी जिला में लाभुकों के Stop Payment के संबंध में बैंक से काई आपत्ति की गयी है । उप विकास आयुक्त, बेगुसराय ने अवगत कराया कि बैंक द्वारा यह जानकारी दी गयी है कि Stop Payment संबंधी आवेदन लेने के बाद भी लाभुक द्वारा ATM से रूपये निकालने की संभावना प्रबल है । समीक्षा के क्रम में यह भी बात सामने आयी कि तीन-चार जिला द्वारा 60,000 रूपये लाभुक को दे दिया गया है लेकिन उसे वापस लिया जायेगा । MIS पर लाभुक के प्रथम किश्त के रूप में 60,000 रूपये भुगतान करने का प्रावधान रहने के कारण उक्त राशि का ही Order Sheet जेनरेट होगा । 35,000 रूपये की दर से Order Sheet जेनरेट करने के संबंध में MIS पर प्रावधान करने के संबंध में विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए दिशा-निर्देश दिया जायेगा ।

(3) **<u>द्वितीय किश्त के भुगतान की व्यवस्था</u>** :- सचिव द्वारा काफी संख्या में इंदिरा आवास के निर्माणाधीन रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए यह संभावना व्यक्त की गयी कि लाभुकों को द्वितीय/अग्रेतर किश्त की राशि भुगतान नहीं होने के कारण भी आवास निर्माणाधीन हो सकते हैं, अतएव सर्वप्रथम वैसे लाभुक जो द्वितीय /अग्रेतर किश्त की राशि भुगतान के लिए पात्रता रखते हैं उनसे ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से आवेदन लेकर निर्माणाधीन मकान की भौतिक प्रगति का प्रमाण पत्र के बाद उनकी अनुशंसा पर द्वितीय/अग्रेतर किश्त का भुगतान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है । इसके लिए एक Triplicate आवेदन/अनुशंसा का प्रपत्र जिलों को उपलब्ध

कराया जा रहा है । उसे सभी ग्रामीण आवास सहायकों को उपलब्ध कराकर एक निश्चित समय-सीमा के अंदर इस कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया ।

इस क्रम में यह भी निदेशित किया गया कि लाभुकों को चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण आवास सहायक के अनुशंसा के आधार पर राशि की निकासी के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण आवास सहायक का हस्ताक्षर का नमूना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से अभिप्रमाणित कर सभी वैसे बैंकों जहाँ लाभार्थी का बैंक खाता है, को भेजना सुनिश्चित किया जाए ।

(4) **<u>पहचान पत्र निर्गत करना</u>** :- सभी ग्रामीण आवास सहायकों एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों को पहचान पत्र उप विकास आयुक्त द्वारा निर्गत किया जाए ताकि क्षेत्रीय कार्यों में लाभुकों के बीच उनकी विश्वसनीयता हो सके ।

(5) **<u>प्रतीक्षा सूची में SC/ST के लाभुकों का नाम जोड़ने की कार्रवाई</u>** :-. उप विकास आयुक्त, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) एवं अन्य कई जिलों द्वारा कतिपय प्रखण्डों/पंचायतों के प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के नहीं रह जाने के कारण इस वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य को पुरा करने में कठिनाई की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया । इस संबंध में सचिव द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में नये परिवारों को जोड़ने की दिशा में संभवत: कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि यह स्वीकार योग्य नहीं है कि गांव टोलों में जाकर छूट हुए परिवारों की खोज करने पर भी ऐसे मामले नहीं रह गये हैं । यदि ऐसे मामले प्रकाश में आयेंगे तो इसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण हो सकता है, अतएव यह आवश्यक है कि पंचायत सचिव/टोला सेवक/ग्रामीण आवास सहायक को प्रत्येक गांव एवं टोला में भेजकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नये परिवारों/छूटे हुए परिवारों का खोज कराकर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सर्वेक्षणोपरान्त स्थायी प्रतीक्षा सूची की पूरक सूची तैयार कर इंदिरा आवास का आवंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(6) **<u>अनुपालन प्रतिवेदन</u> :-** इंदिरा आवास योजना से संबंधित NLM, Performance Audit का अनुपालन प्रतिवेदन एवं जीर्णोद्धार योजना के लाभार्थियों की सूची हर हाल में 15.11.2014 तक विभाग को उपलब्ध करा देने का निदेश दिया गया ।

अंत में सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना
28/10/14

ज्ञापांक 206933 पटना, दिनांक 28/10/14
ग्रा०वि०-5/ज०आ०यो०(नि०वि०)-25/2011

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव
28/10/14

E:\D Drive\Mukesh\Procedding 27-10-14.doc